भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 731
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

विधि विश्वविद्यालयों को बीसीआई के निर्देश

731. श्री बी.मणिक्कम टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कानूनी आधार क्या हैं जिनके आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने निजी विधि विश्वविद्यालयों को "इंडिया", "इंडियन", "नेशनल", "भारत", "भारतीय" और "राष्ट्रीय" जैसे शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) बीसीआई द्वारा ऐसे निर्देश जारी करने के क्या कारण हैं तथा इसके दुरुपयोग के विशिष्ट उदाहरण क्या हैं, जिनके कारण यह निर्णय लिया गया ;

(ग) ऐसे निर्देश भारत में निजी विधि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और ब्रांडिंग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ;

(घ) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) को ऐसे निर्देशों से छूट देने के लिए मानदंड और औचित्य का ब्यौरा क्या हैं ;

(ङ) निजी विधि विश्वविद्यालयों द्वारा उपर्युक्त शब्दों के उपयोग हेतु केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है;

(च) बीसीआई किस तरह से ऐसे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा अनुपालन न करने वाली संस्थाओं के लिए प्रस्तावित दंड क्या है; और

(छ) किस तरह से ऐसे निर्देश संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अनुरूप है, तथा राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् को ये निदेश जारी करने के प्राधिकार दो प्राथमिक विधियों, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 से प्राप्त होता है। संप्रतीक और नाम अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना वृतिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए “इंडिया”, “राष्ट्रीय” या “भारत” जैसे शब्दों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती है। धारा 4, जब तक कि विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाए इन शब्दों का प्रयोग करने वाले संगठनों के रजिस्ट्रीकरण को निर्बंधित करती है । अधिवक्ता अधिनियम, 1961, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को विधिक शिक्षा को विनियमित करने और धारा 7 के अधीन समान मानक स्थापित करने और धारा 49 के अधीन शासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। ये निदेश, सरकारी या राष्ट्रीय पृष्ठाकंन के भ्रामक प्रभावों का निवारण करके संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है।

(ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने अपने पत्र संख्या बीसीआई:5386/2024 तारीख 15.10.2024 के माध्यम से यह निदेश जारी किया है, जिसमें “राष्ट्रीय” और “भारत” जैसे शब्दों के दुरुपयोग के कई उदाहरण दिए गए, जिससे भ्रामक प्रभाव सृजित हुए है। “राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता” जैसे भ्रामक

शीर्षकों ने गलत तरीके से सरकारी/शासकीय पृष्ठाकंन/मान्यता या राष्ट्रीय महत्ता को रखा है। इसके अतिरिक्त, जिन शब्दों का इस्तेमाल सरकारी पृष्ठांकन को दर्शाने के लिए किया गया है, उससे मिथ्या दावों के अधीन प्रायोजन आकर्षित हुए। इस तरह की प्रथाओं ने मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित वास्तविक राष्ट्रीय कार्यक्रमों की विश्वसनीयता को कम कर दिया।

उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र जारी होने से पहले वर्ष 2024 में दुरुपयोग के कुछ विशिष्ट उदाहरण, जो परिपत्र जारी करने के आधारों में से एक थे, इस प्रकार हैं:-

1. बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर द्वारा विश्वनाथ पसायत मेमोरियल राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2024 [2-4 अक्टूबर;]
2. एलसीआईटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, बिलासपुर द्वारा तीसरी लक्ष्मी चंद राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता [27-28 सितंबर;]
3. कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर द्वारा पांचवीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता [24-25 मई]

एक विशिष्ट उदाहरण जे.सी. कॉलेज ऑफ लॉ, गुंटूर, आंध्र प्रदेश का है, जिसने उपरोक्त परिपत्र जारी करने के पश्चात् आवश्यक प्राधिकार प्राप्त किए बिना "चौथी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता" की घोषणा की। भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने 11 नवंबर, 2024 को कारण बताओ नोटिस (सं. बीसीआई: 2316:2024) जारी किया। कॉलेज ने तुरंत जवाब दिया, बिना शर्त माफ़ी मांगी और प्रचार सामग्री से "राष्ट्रीय" शब्द को हटाकर 24 घंटे के भीतर त्रुटि को सुधारा। अपने सुधारात्मक उपायों के आधार पर, भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने अनुपालन पर जोर दिया और दंडात्मक कार्रवाइयों से परहेज किया, दंड पर सुधारात्मक प्रवर्तन के अपने दृष्टिकोण को उजागर किया।

(ग) : निदेश, निजी विधि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में बाधा नहीं डालता है। संस्थाओं को कार्यक्रम आयोजित करने और अपनी पहल को बढ़ावा देने की स्वतंत्रता बनी रहती है, परंतु वे उचित अनुमोदन के बिना निर्बंधित शब्दों का प्रयोग करने से बचें। निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देकर, निदेश सुनिश्चित करता है कि कोई भी संस्थान भ्रामक ब्रांडिंग के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त न करे। यह पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि घटनाओं को सही ढंग से दर्शाया गया हो, और जब संस्थान इन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ती है। यह निदेश अंततः एक समान अवसर उपलब्ध कराता है, तथा विधिक शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और विश्वास को बढ़ावा देता है।

(घ) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) राज्य विधानों के अधीन स्थापित किए गए हैं, जिनमें "राष्ट्रीय" जैसे शब्द उनकी पहचान का अभिन्न अंग हैं। उनके आयोजनों में अक्सर महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए उनका महत्व होता है। ये संस्थान छूट के लिए पात्र हैं क्योंकि उनके वैधानिक आधार निर्बंधित शब्दों के प्रयोग को औचित्य प्रदान करते हैं। तथापि, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र के अनुसार, निर्बंधित शब्दों वाले आयोजनों का आयोजन करते समय एनएलयू को भी केंद्रीय सरकार को अनुमोदन के लिए अधिसूचित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि एनएलयू की महत्ता और अधिदेश को स्वीकार करते समय "राष्ट्रीय" शब्दों का प्रयोग पारदर्शी रहे और दिशानिर्देशों का अनुपालन करे। इसी प्रकार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों या राज्य विश्वविद्यालयों के भीतर विधि विभाग, जो सरकारी वित्त पोषित संस्थान हैं, वे भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जब आयोजन में ऐसा चरित्र प्रदर्शित होता है, परंतु वे केंद्रीय सरकार को औपचारिक सूचना देने की प्रक्रिया का अनुपालन करें। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि संस्थाएँ चाहे कानूनी हों या सरकारी, वास्तविक राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के आयोजन को सुकर बनाया जाए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने पर समीक्षा करने तथा आगे की जानकारी मांगने अथवा प्रयोग से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ङ) : निजी विधि विश्वविद्यालयों को “इंडिया”, “राष्ट्रीय” अथवा “भारत” जैसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में प्रस्तावित

कार्यक्रम का शीर्षक, उद्देश्य, निर्बंधित शब्द के प्रयोग का न्यायौचित्य, तथा भागीदारी और क्षेत्र का विवरण सम्मिलित होना चाहिए। मंत्रालय यह मूल्यांकन करेगा कि क्या कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व के अनुरूप है तथा अनुमोदन अथवा अस्वीकृति के कारण बताते हुए अपना विनिश्चय संसूचित करेगा।

(च) : भारतीय विधिज्ञ परिषद्, आयोजन सामग्री, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की नियमित मानीटरी के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह पणधारियों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों पर कार्रवाई करता है। उदाहरण के लिए, जे.सी. कॉलेज ऑफ़ लॉ द्वारा "राष्ट्रीय" शब्द के दुरुपयोग के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कॉलेज की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ने दंड की तुलना में अनुपालन पर ज़ोर दिया।

अतिक्रमण के लिए प्रस्तावित दंड में स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले कारण बताओ नोटिस जारी करना, लगातार अतिक्रमण के लिए मान्यता/अनुमोदन रद्द करना, संप्रतीक और नाम अधिनियम के अधीन विधिक अभियोजन चलाना और भविष्य के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाना सम्मिलित है। यह दृष्टिकोण जवाबदेही बनाए रखते हुए सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता देता है।

(छ) : यह निदेश, निर्बंधित शब्दों के अप्राधिकृत प्रयोग का निवारण करके संप्रतीक और नाम अधिनियम के साथ संरेखित होता है, जिससे विधिक शिक्षा के दिए गए क्षेत्र में निष्पक्षता, पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि घटनाओं को सही ढंग से दर्शाया जाए और उन्हें राष्ट्रीय या सरकारी पृष्ठांकन के साथ भ्रामक रूप से न जोड़ा जाए। जे.सी. कॉलेज ऑफ़ लॉ का उदाहरण प्रवर्तन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो दंडात्मक कार्रवाइयों की तुलना में अनुपालन और सुधारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे भारत में एक भरोसेमंद और न्यायसंगत विधिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

****